न्यायालयः चतुर्थ अपर एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) हरदोई।

उपस्थित :-रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, एच०जे०एस०

विशेष दाण्डिक वाद संख्या-60/2019

उत्तर प्रदेश राज्य ------------------------------अभियोगी

प्रति

बाल किशन आयु करीब-60 वर्ष पुत्र छुटकुन्नू निवासी ग्राम गोपालपुर थाना पाली जिला हरदोई--------------------------------अभियुक्त

अ०सं-184/2018

अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनयम

थाना-पाली , जनपद-हरदोई

निर्णय

1- वर्तमान विशेष आपराधिक वाद में थाना पाली जिला हरदोई की पुलिस द्वारा अभियुक्त बाल किशन पुत्र छुटकुन्नू ग्राम गोपालपुर थाना पाली जिला हरदोई के विरूद्ध अपराध संख्या-184/2018 अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम परीक्षण हेतु आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनाँक-13-06-2018 को निरीक्षक श्रीधर पाठक, प्रभारी, प्रवर्तन दल, सीतापुर अपने साथ जे० ई० खुशनूर अहमद, काँ०ओम प्रकाश, काँ०गुलाब सिंह, काँ० अशोक कुमार व काँ० अतुल कुमार व जे ई किशनपाल,पावर हाउस, पाली वाहन संख्या-यू पी 34 वाई 7677 टाटा सूमो गोल्ड के साथ विद्युत चोरी चेंकिंग ग्राम गोपालपुर थाना पाली में समय 15.30 बजे से 17.00 बजे के मध्य तक की गयी तो अन्य के अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण के अभियुक्त बाल किशन द्वारा एल टी लाइन से सीधे केबिल तार से कटिया जोड़कर एक किलो वाट घरेलू विद्युत का उपयोग करते पाया गया। विद्युत संयोजन प्रपत्र तलब करने पर दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्त द्वारा कृत कार्य विद्युत अधिनियम की धारा-135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

3- मौके पर चेकिंग रिपोर्ट तैयार कर चेकिंग रिपोर्ट व तहरीर थाने पर दाखिल करने मुकदमा कायम कराया गया, जिसका मु०अ०संख्या-184/2018 अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम थाना पाली जिला हरदोई में पंजीकृत हुआ, जिसका इन्द्राज सामान्य दैनन्दिनी में हुआ। विवेचना प्रारम्भ हुयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का भूचित्र बनाया गया। साक्षियों के बयान अंकित किए गए। समस्त संकलित साक्ष्य के उपरान्त प्रकरण प्रथम दृष्टया स्थापित पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4- विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा परीक्षण हेतु अभियुक्त को आहूत किया गया।

5– अभियुक्त बाल किशन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप दिनाँक–09–05–2019 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की याचना की।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए बतौर पी०डब्ल्यू० 1 श्री किशन पाल, जे०ई०,विद्युत उपकेन्द्र शाहाबाद,जनपद हरदोई को परीक्षित कराया गया। इसी स्तर पर अभियुक्तपक्ष की ओर से समस्त अभियोजन प्रपत्रों– आरोपपत्र, नकल रपट रोजनामचा आम व स्थल मानचित्र आदि के निष्पादन की यथार्थता स्वीकार की गयी।

7– अभियोजनपक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार करने के उपरान्त औपचारिक साक्षीगण को तलब करने का कोई विधिक औचित्य नहीं रहा। तत्पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक गलत बताया तथा यह कहा है कि वह निर्दोष है।

8– बहस के दौरान दिनाँक–06–06–2019 को अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र देकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने का कथन करते हुए अपना प्रथम अपराध होना बताया तथा न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने का कथन किया। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा यह समझाया गया कि जुर्म इकबाल करने पर उसे सजा हो सकती है तो उसने अपने को गरीब बताते हुए कम से कम सजा से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया।

9– मैंने अभियुक्त के अधिवक्ता एवं पावर कारपोरेशन की ओर से उनके नामित अधिवक्ता श्री नीरज नयन निगम एड० के सविस्तार तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराध सिद्ध करने के लिए बतौर पी०डब्ल्यू० 1 किशनपाल ने साक्ष्य दिया है कि दिनाँक–13–06–2018 को ग्राम गोपालपुर में बाल किशन के घर जाँच के दौरान टीम के सदस्यों के साथ चेकिंग की थी तथा चेकिंग के दौरान अभियुक्त एल टी लाइन से कटिया डालकर एक किलो वाट घरेलू विद्युत उपयोग करते पकड़ा था। विद्युत प्रयोग के कोई कागजात मौके पर नहीं दिखा सका था। चोरी के अपराध की शमन धनराशि चार हजार रूपये अभियुक्त जमा नहीं कर सका। इस कारण एफ आई आर दर्ज करायी गयी। तब उन्होंने जाँच टीम के सदस्यों के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से थाना पाली पर एफ आई आर दर्ज करायी थी। तहरीर पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा उसकी छाया प्रति प्रदर्श क–1 के रूप में साबित की। इस साक्षी से बचावपक्ष को जिरह का अवसर दिए जाने के पश्चात् भी कोई प्रतिपरीक्षा बचावपक्ष की ओर से नहीं की गयी।

11– उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार किए जाने के कारण इस स्तर पर यह सिद्ध हुआ है कि विद्युत टीम द्वारा चेकिंग के समय अभियुक्त द्वारा एल टी लाइन से कटिया डालकर एक किलो वाट भार की घरेलू कार्य के लिए चोरी से विद्युत का उपयोग किया जा रहा

था। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से अपराध संस्वीकृत किए जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस के स्तर पर स्वेच्छा से अपराध संस्वीकृत किए जाने का कथन किया गया है।

12– विद्युत चोरी के मामले में दो प्रकार के उत्तरदायित्व उपभोक्ता के बनते हैं,

प्रथम – आपराधिक उत्तरदायित्व, जो विद्युत अधिनियम–2003 के दाण्डिक प्रावधानों के तहत दण्ड का है। द्वितीय– सिविल उत्तर दायित्व– जैसे पूर्व के बिल की बकाया या चोरी की विद्युत उपयोग करते हुए पकड़ जाने पर असेसमेण्ट के आधार पर वसूली । दाण्डिक वाद की दोषसिद्धि व निर्णीत होने पर आरोपित अर्थदण्ड जमा कर दिए जाने के बाद भी सिविल उत्तरदायित्व के अधीन बकाया आदि की वसूली विद्युत विभाग अलग से नियमानुसार करने के लिए स्वतन्त्र है।

13– वर्तमान मामले में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य एवं अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से संस्वीकृति के आधार पर धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विरचित आरोप समस्त युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त बाल किशन धारा–135 विद्युत अधिनियम–2003 के आरोपित अपराध से दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

I– अभियुक्त **बाल किशन** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम–2003 में दोषसिद्ध किया जाता है।

II–अभियुक्त अदालत उपस्थित है। पूर्व में जमानत पर था । उसे अभिरक्षा में लिया गया। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किए जाते है एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

III–बचावपक्ष की वाञ्छा पर दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो।

दिनाँक–20–06–2019 **(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)**

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)हरदोई

14– दण्ड के विन्दु पर बचावपक्ष एवं अभियोजनपक्ष को सुना गया। अभियुक्तपक्ष का कथन है कि अभियुक्त बाल किशन ग्रामीण व्यक्ति हैं, उसका यह प्रथम अपराध है। अत्यन्त निर्धन व्यक्ति हैं, अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपराध की संस्वीकृति की है, अतः उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियोजनपक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्त द्वारा अविधिक रूप से एक किलोवाट विद्युत भार का उपयोग कटिया डालकर घरेलू प्रयोग के लिए किया जा रहा था। तदनुसार दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी ।

15– धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। इस प्रावधान के अनुसार विद्युत चोरी से हुए अभियुक्त को लाभ के तीन गुना से कम जुर्माना नहीं किया जायेगा।

अभियुक्तपक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी एवं प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा था। अभियोजनपक्ष द्वारा इस विन्दु पर कोई तथ्य/साक्ष्य नहीं रखा गया है कि एक किलोवाट भार का दो माह का विद्युत कर कितना हुआ? एक या दो माह से अधिक के विद्युत उपयोग का लाभ नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक माह/समय-समय पर मीटर/लाइन चेकिंग विद्युत विभाग द्वारा अपेक्षित है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा उसने स्वेच्छया अपराध संस्वीकृत किया है। अतः अभियुक्त को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। धारा-135 विद्युत अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त को चार हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने एवं अर्थदण्ड जमा न करने पर बीस दिन के साधारण कारावास से दण्डित करने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति सम्भव है।

दण्डादेश

I- अभियुक्त **बाल किशन** को आरोपित अपराध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अंकन- **4000/-रूपये (चार हजार रूपये) के** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को **20 दिन (बीस दिन)** के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

II- बाद मियाद अपील अथवा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन प्रकरण की अभियोग सम्पत्ति, यदि कोई हो, को नियमानुसार निस्तारित किया जाय।

III- अभियुक्त पर अधिरोपित उक्त अर्थदण्ड या दण्डादेश का कोई प्रभाव विद्युत विभाग के प्रति उसके व्यवहार उत्तदायित्व पर नहीं पड़ेगा। विद्युत विभाग अभियुक्त पर पूर्व अथवा वर्तमान बकाया/देय को नियमानुसार वसूल करने के लिए अधिकृत/स्वतन्त्र होगा।

IV- निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाय।

दिनाँक-20-06-2019 **(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)**

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)हरदोई

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनाँक-20-06-2019 **(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)**

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)हरदोई